# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
### संकल्प

सं0–15/परिवाद बक्सर (जाँच दल) 12–357/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

परिवादी श्री लक्ष्मण राय से प्राप्त परिवाद पत्र में **श्री अवधेश प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर** के विरूद्ध पुस्तैनी जमीन की बिना बिक्री किये हुए जमाबंदी पंजी–2 में छेड़छाड़ कर श्री बबन वो गुड्डु कोहार के नाम पर जमाबंदी कायम करने जैसी शिकायतों की विभागीय जाँच दल द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में परिमार्जन की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने डोंगल से श्री हरिचरण राय के नाम की जमीन पर छेड़छाड़ करते हुए बिना दाखिल–खारिज की विहित प्रक्रिया का पालन किये जमाबंदी रैयत श्री बबन वो गुड्डु कोहार के जमाबंदी में नये खाता–9, खेसरा सं0–307/459 सृजित किया कर ऑनलाईन जमाबंदी में जमीन का अंतरण किये जाने, दाखिल–खारिज नियमावली के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चूक करने तथा कर्तव्य के प्रति बरती गयी लापरवाही, कर्तव्यहीनता एंव स्वेच्छाचारिता बरतने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1831(15), दिनांक–14.10.2025 द्वारा श्री प्रसाद से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–4011 दिनांक–30.12.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन तथा साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण के समर्थन में संलग्न साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। श्री प्रसाद के द्वारा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन जमाबंदी पंजी से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन जो मौजा मांगोडिहरी में अवस्थित है एवं जिसका खाता स०–09 एवं 85, खेसरा सं0–307 एवं 307/509. रकवा–क्रमशः 06, 06 डी० है, वर्तमान में जमाबंदी रैयत–बबन व गुड्डु कहार के नाम से वर्तमान भाग–1, पृष्ठ सं0–104 एवं जमाबंदी सं0–104 पर ऑनलाईन प्रदर्शित है। साथ ही प्रश्नगत भूमि श्री लक्ष्मण राय के नाम से भी वर्तमान भाग–1, पृष्ठ सं0–160 एवं जमाबंदी सं0–102 पर ऑनलाईन प्रदर्शित है।

श्री प्रसाद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित करना कि उनके द्वारा केवल छुटे हुए खेसरा की ऑनलाईन इन्ट्री परिमार्जन के माध्यम से की गई है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि विभागीय जाँच दल के जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिमार्जन रिर्पोट एवं साक्ष्य के रूप में श्री प्रसाद द्वारा उपलब्ध कराये गये परिमार्जन रिपार्ट से स्पष्ट है कि खाता नं0–9/प्लॉट नं0–307/459 वर्ष 2018 में श्री प्रसाद के द्वारा परिमार्जन की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने डोंगल से दिनांक–23.11.2018 जमाबंदी रैयत– बबन व गुड्डू कहार के जमाबंदी में नये खाता–9, खेसरा सं0–307/459 सृजित किया गया एवं लेन–देन के प्रकार में दाखिल–खारिज तथा प्लॉट की स्थिति में Completly Sold दर्शाया गया है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित करना कि जॉच पदाधिकारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि को हरिचरण राय या उनके वंशजों का नहीं बताया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच कर विभागीय जाँचदल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या परिवादी के द्वारा लगाया गया आरोप सही प्रतीत होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत जमीन जो मौजा मागोडिहरी में अवस्थित है, जिसका खाता–42, खेसरा–401, रकवा–12 डॉ० है, जो परिवादी के दादा हरिचरण राय के नाम से दर्ज है रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत जमीन जो मौजा मागोडिहरी में अवस्थित है जिसका खाता–11, खेंसरा–507, रकवा–12 डी० है जो परिवादी के पिता–गुप्तनाथ राय व विश्वनाथ राय, पे०–हरिचरण राय के नाम से दर्ज है। चकबंदी खतियान के अनुसार प्रश्नगत जमीन जो मौजा–मांगोडिहरी में अवस्थित है जिसका खाता सं0–09 एवं 85, खेसरा सं0–307 एवं 307/509, रकवा–क्रमशः 06, 06 डी० है जो परिवादी के पिता–गुप्तनाथ राय व विश्वनाथ राय, पे०–हरिचरण राय के नाम से दर्ज है।

जमाबंदी रैयत–बबन व गुड्डु कहार, पिता–बीरबल के जमाबंदी सं0–104 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी जमाबंदी में वर्ष 2018 में आरोपी पदाधिकारी तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री अवधेश प्रसाद के द्वारा परिमार्जन की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने डोंगल से दिनांक–23.11.2018 जमाबंदी रैयत–बबन व गुड्डु कहार के जमाबंदी में नये खाता–9, खेसरा सं0–307/459 सृजित किया गया जिसके लेन–देन के प्रकार में दाखिल–खारिज दर्शाया गया है, लेकिन ऑनलाईन अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट होता है कि उस वित्तीय वर्ष में ऐसा कोई दाखिल–खारिज आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। तत्कालीन अंचलाधिकारी, राजपुर, बक्सर के द्वारा परिमार्जन की प्रक्रिया के द्वारा परिवादी की पुश्तैनी जमीन में छेड़–छाड़ करते हुए बिना दाखिल–खारिज की विहित प्रक्रिया का पालन किये किसी दूसरे जमाबंदी रैयत के ऑनलाईन जमाबंदी में परिवादी की पुश्तैनी जमीन का अंतरण किया गया है जो उनकी संदिग्ध मंशा को परिलक्षित करता है। आरोपी पदाधिकारी का यह कृत्य अपने निजी स्वार्थवशं या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। अतः आरोपी पदाधिकारी का लिखित बचाव अभिकथन/स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4. श्री अवधेश प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद को "निन्दन" एवं "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अवधेश प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भू–अर्जन कार्यालय, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2018–19) एवं** नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक"** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह०/–
**(संजय कुमार सिंह),**
**सरकार के उप सचिव।**

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/परिवाद बक्सर (जाँच दल) 12–357/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, बक्सर एवं पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/श्री अवधेश प्रसाद, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भू–अर्जन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/परिवाद बक्सर (जाँच दल) 12–357/2024–413.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–23/03/26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल में)/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री अवधेश प्रसाद** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

20/3/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।